कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई।

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी- 02 पद, चौकीदार -01 पद व सफाईकर्मी -01 पद) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/-, 5000/- व 2000/- रूपये पर अस्थायी रूप से 28-02-2019 तक के लिये नियुक्ति जरिए आउटसोर्सिंग की जानी है। तद् हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई में दिनांकः 05-06-2018 तक स्वीकार किये जायेंगे। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, नियम व शर्तें जनपद न्यायालय, हरदोई की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/Hardoi से डाउनलोड किया जा सकता है।

दिनांकः 21-05-2018

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
हरदोई।

नियम व शर्तेः–

1. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 02 पद व सफाईकर्मी 01 पद) कुल 04 पदों नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/– , 5000/– व 2000/– रूपये पर अस्थाई रूप से दिनांक : 28.02.2019 तक के लिए नियुक्त की जायेगी। नियुक्त कर्मचारीगण का मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई–पेमेंट/चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा और सम्बन्धित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे, सम्बन्धित कर्मचारीगण एवं प्राधिकरण के मध्य इस सम्बन्ध में कोई संव्यवहार अथवा पत्राचार नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त अस्थाई पदों नियुक्ति हेतु निम्नलिखित निम्नतम योग्यता होगी :–

क्र0 सं0	पद का नाम	योग्यता
01	चपरासी	कक्षा आठवाँ (चार पहिया वाहन चालक को वरीयता)
02	चौकीदार	कक्षा पाँच
03	सफाईकर्मी	शिक्षित

उपरोक्त के अतिरिक्त अच्छे आचरण एवं चाल–चलन वाला, आज्ञाकारी व विनम्र स्वभाव होना अनिवार्य है।

2. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कोई भी अपराधिक इतिहास व कोई भी अनैतिक आचरण का कोई आरोप नहीं होना चाहिए।
3. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया गया कर्मचारी जनपद हरदोई का मूल निवासी होना चाहिए।
4. आवेदन निःशुल्क है।
5. आवेदन – पत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, हरदोई में दिनांक : 05.06.2018 को सॉय 4:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे।
6. सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, हरदोई से 100/– रू0 के स्टॉम्प पेपर पर उपरोक्त आशय का एक इकरारनामा निस्पादित करेगा, जिसमें नियुक्त व्यक्ति का आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यताधारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।
7. सेवा प्रदाता के संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय व स्तर पर समाप्त कर दी जाएगी।

दिनांक : 21.05.2018

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद न्यायालय, हरदोई।